

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2021—फाल्गुन 28, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरेश कुमार आत्मज श्री नारद दास, उम्र 33 वर्ष, जाति धोबी, निवासी-म. क्र.-95/क, शिवाजी मार्ग, आजाद चौक, मुक्तिधाम रामनगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम नरेश कुमार निर्मलकर था तथा मैं इसी नाम से जाना-पहचाना जाता था. मैंने उपनाम “निर्मलकर” का परित्याग कर, अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम नरेश कुमार रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे नरेश कुमार आत्मज श्री नारद दास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नरेश कुमार निर्मलकर
पिता-श्री नारद दास
निवासी-म. क्र.-95/क,
शिवाजी मार्ग, आजाद चौक,
मुक्तिधाम रामनगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

नरेश कुमार
पिता-श्री नारद दास
निवासी-म. क्र.-95/क,
शिवाजी मार्ग, आजाद चौक,
मुक्तिधाम रामनगर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजवर्धन राठौर आत्मज श्री हेमकृष्ण राठौर, निवासी-शांति सदन, क्वार्टर नं.-331/1, सेक्टर-3, अवंति विहार, गीतांजली नगर, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम सोनू राठौर था तथा मैं इसी नाम से जाना-पहचाना जाता था। मैंने अपना पूर्व नाम परिवर्तित कर नया नाम राजवर्धन रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के सक्षम शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे राजवर्धन राठौर आत्मज श्री हेमकृष्ण राठौर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

सोनू राठौर

(Sonu Rathore)

पिता-श्री हेमकृष्ण राठौर

(S/o- Shri Hemkrishna Rathore)

निवासी-शांति सदन, क्वार्टर नं.-331/1,

सेक्टर-3, अवंति विहार,

गीतांजली नगर, रायपुर,

तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

राजवर्धन राठौर

(Rajvardhan Rathore)

पिता-श्री हेमकृष्ण राठौर

(S/o- Shri Hemkrishna Rathore)

निवासी-शांति सदन, क्वार्टर नं.-331/1,

सेक्टर-3, अवंति विहार,

गीतांजली नगर, रायपुर,

तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ओंकार प्रसाद कृपाल आत्मज स्व. चन्दूलाल कृपाल, उम्र 55 वर्ष, निवासी-ब्लॉक नं.-11/बी, सड़क-13, सेक्टर-4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, परिचय पत्र व बैंक रिकार्ड में मेरा पूर्ण नाम ओंकार प्रसाद कृपाल दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम ओंकार दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे ओंकार प्रसाद कृपाल आत्मज स्व. चन्दूलाल कृपाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

ओंकार

पिता-स्व. चन्दूलाल कृपाल

निवासी-ब्लॉक नं.-11/बी,

सड़क-13, सेक्टर-4, भिलाई,

तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

ओंकार प्रसाद कृपाल

पिता-स्व. चन्दूलाल कृपाल

निवासी-ब्लॉक नं.-11/बी,

सड़क-13, सेक्टर-4, भिलाई,

तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आलोक कुमार वर्मा आत्मज श्री मुरलीधर वर्मा, उम्र 41 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-05/एच, सड़क-30, सेक्टर-1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक, पूर्ण नाम आलोक कुमार वर्मा है जो कि मेरे समस्त प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र अर्जुन वर्मा, जो कि कक्षा 1 में अध्ययनरत है, उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम आलोक वर्मा दर्ज है। जिसे परिवर्तित कर, मेरे पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरे पुत्र को अर्जुन वर्मा आत्मज आलोक कुमार वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अर्जुन वर्मा
पिता-श्री आलोक वर्मा
निवासी-क्वा. नं.-05/एच,
सड़क-30, सेक्टर-1, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अर्जुन वर्मा
पिता-श्री आलोक कुमार वर्मा
निवासी-क्वा. नं.-05/एच,
सड़क-30, सेक्टर-1, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुनील चौरे आत्मज श्री चिरंजीव लाल, उम्र 53 वर्ष, निवासी-सेक्टर-11, जोन-1, सड़क नं.-19, क्वा. नं.-एच. खुर्सीपार, भिलाई-3, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम सुनील चौरे है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, आयकर रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा घरेलू नाम उमराव चौरे दर्ज है। जिसे परिवर्तित कर, मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे सुनील चौरे आत्मज श्री चिरंजीव लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

उमराव चौरे
पिता-श्री चिरंजीव लाल
निवासी-सेक्टर-11, जोन-1,
सड़क नं.-19,
क्वा. नं.-एच. खुर्सीपार,
भिलाई-3,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुनील चौरे
पिता-श्री चिरंजीव लाल
निवासी-सेक्टर-11, जोन-1,
सड़क नं.-19,
क्वा. नं.-एच. खुर्सीपार,
भिलाई-3,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजीत खुरसेल आत्मज स्व. राजेन्द्र खुरसेल, उम्र 30 वर्ष, निवासी-क्वा. नंबर-डी. आर. 1.11/ए, बाबु खोली, पुराना पोस्ट ऑफिस, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं द. पु. म. रेल्वे बिलासपुर में कार्यरत हूँ। मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम अजीत कुमार (Ajit Kumar) आत्मज स्व. राजेन्द्र खुरसेल दर्ज है। मैं अपने नाम के साथ कुमार का परित्याग कर, अपने नाम को परिवर्तित कर उपनाम “खुरसेल” जोड़कर नया नाम अजीत खुरसेल रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे अजीत खुरसेल (Ajit Khursel) आत्मज स्व. राजेन्द्र खुरसेल (Late Rajendra Khursel) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अजीत कुमार
(Ajit Kumar)
पिता- स्व. राजेन्द्र खुरसेल
(S/o-Late Rajendra Khursel)
निवासी-क्वा. नंबर-डी. आर. 1.11/ए,
बाबु खोली, पुराना पोस्ट ऑफिस, बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

अजीत खुरसेल
(Ajit Khursel)
पिता- स्व. राजेन्द्र खुरसेल
(S/o-Late Rajendra Khursel)
निवासी-क्वा. नंबर-डी. आर. 1.11/ए,
बाबु खोली, पुराना पोस्ट ऑफिस, बिलासपुर,
तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिलप्रीत सिंह दर्दी आत्मज श्री गरीबपाल सिंह दर्दी, उम्र 18 वर्ष, निवासी-501, संस्कार हाइट्स, गायत्री नगर, रायपुर (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम दिलप्रीत सिंह दर्दी है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, ड्रायविंग लायसेंस व आधार कार्ड में दर्ज है। मेरा घरेलू नाम प्रीत सिंह दर्दी है जिससे परिवर्तित कर अपने वास्तविक नाम को मेरे समस्त आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे दिलप्रीत सिंह दर्दी आत्मज श्री गरीबपाल सिंह दर्दी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

प्रीत सिंह दर्दी
पिता-श्री गरीबपाल सिंह दर्दी
निवासी-501, संस्कार हाइट्स,
गायत्री नगर, रायपुर,
तह. व जिला -रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

दिलप्रीत सिंह दर्दी
पिता-श्री गरीबपाल सिंह दर्दी
निवासी-501, संस्कार हाइट्स,
गायत्री नगर, रायपुर,
तह. व जिला -रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती इन्द्राणी चन्द्राकर ध. प. श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर, उम्र 58 वर्ष, निवासी-मकान नं.-2, विश्व बैंक कॉलोनी, सेक्टर-1 भिलाई-3, भिलाई-चरोदा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम इन्द्राणी चन्द्राकर है जो कि मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड व अन्य शासकीय अभिलेखों में इन्द्राणी चंद्रवंशी दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर, मैं अपने वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती इन्द्राणी चन्द्राकर ध. प. श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

श्रीमती इन्द्राणी चंद्रवंशी
पिता-श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर
निवासी-मकान नं.-2,
विश्व बैंक कॉलोनी,
सेक्टर-1, भिलाई-3,
भिलाई-चरोदा,
तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती इन्द्राणी चन्द्राकर
पिता-श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर
निवासी-मकान नं.-2,
विश्व बैंक कॉलोनी,
सेक्टर-1, भिलाई-3,
भिलाई-चरोदा,
तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद इकबाल खान आत्मज मोहम्मद नवाज खान, उम्र 58 वर्ष, निवासी-86/ए, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं फेरा स्केप निगम लिमिटेड में कार्यरत हूँ। पूर्व में मैं मो. इकबाल मंसूरी आ. मो. नवाज मंसूरी के नाम से जाना-पहचाना जाता था तथा यह नाम मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, एल. आई. सी. प्रमाण पत्र तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है। मेरे पिता का वास्तविक नाम मोहम्मद नवाज खान है, जो कि मेरे पहचान पत्र व पेनकार्ड में दर्ज है। मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम मोहम्मद इकबाल खान आत्मज मोहम्मद नवाज खान रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे मोहम्मद इकबाल खान आत्मज मोहम्मद नवाज खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

मो. इकबाल मंसूरी
पिता-मो. नवाज मंसूरी
निवासी-86/ए, रिसाली
सेक्टर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मोहम्मद इकबाल खान
पिता-मोहम्मद नवाज खान
निवासी-86/ए, रिसाली
सेक्टर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2021

प्रकरण क्रमांक/2021/03/111000/155/ब-113 (1) वर्ष 2020-21

क्रमांक/66/अ.वि.अ./पं. सा. न्या./2021.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राधेश्याम अग्रवाल आत्मज श्री रामदास अग्रवाल, निवासी 401, ब्लॉक सी हर्षित टॉवर, टाटीबंध, रायपुर द्वारा “सेठ प्यारेलाल रामदास चेरिटेबल ट्रस्ट रायपुर छ. ग.”, पता-401, ब्लॉक सी हर्षित टॉवर, टाटीबंध, रायपुर (छ. ग.) का छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 (2) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैं :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं पता :- “सेठ प्यारेलाल रामदास चेरिटेबल ट्रस्ट रायपुर छ. ग.”
पता-401, ब्लॉक सी हर्षित टॉवर, टाटीबंध, रायपुर (छ. ग.)
2. चल संपत्ति :- राशि रुपये - 11,000/-
(अक्षरी-ग्यारह हजार रुपये मात्र)
3. अचल संपत्ति :- निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 23-03-2021 को उपस्थित होंगे. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईशतहार आज दिनांक 08-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

प्रणव सिंह
पंजीयक एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 30 जनवरी 2021

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2021/264.—वस्तुतः कामगार सहकारी समिति मर्या. निरतु पंजीयन क्रमांक 276 दिनांक 16-09-2009 विकास खण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/595 बिलासपुर दिनांक 10-02-2016 के द्वारा विगत कई वर्षों से अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री आर. सी. ध्रुव सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री आर.सी.ध्रुव द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत कामगार सहकारी समिति मर्या. निरतु पंजीयन क्रमांक 276 दिनांक 16-09-2009 विकास खण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 जनवरी 2021

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2021/265.—वस्तुतः श्री साई कामगार सहकारी समिति मर्या. हिरी मार्ल्स, पंजीयन क्रमांक 307 दिनांक 07-05-2012 विकास खण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1550 दिनांक 09-08-2018 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती मीनू अग्रवाल सहकारिता विस्तार अधिकारी विकास खण्ड तखतपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत श्री साई कामगार सहकारी समिति मर्या. हिरी मार्ल्स, पंजीयन क्रमांक 307 दिनांक 07-05-2012 विकास खण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 जनवरी 2021

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2021/266.—वस्तुतः सिद्धार्थ बड़ई उद्योग सहकारी समिति मर्या. बकरमुदा, पंजीयन क्रमांक 3123 दिनांक 30-09-1982 विकास खण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1985/1650 दिनांक 24-06-1995

के द्वारा विगत कई वर्षों से अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री आर.सी.ध्रुव द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत सिद्धार्थ बड़ई उद्योग सहकारी समिति मर्या. बकरकुदा, पंजीयन क्रमांक 3123 दिनांक 30-09-1982 विकास खण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 जनवरी 2021

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2021/268.—वस्तुतः आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. वेदपरसदा पंजीयन क्रमांक 102 दिनांक 20-12-2000 विकास खण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2010/135 दिनांक 20-01-2010 के द्वारा विगत कई वर्षों से अकार्यशील होने के कारण परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक श्री आर.सी.ध्रुव द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. वेदपरसदा पंजीयन क्रमांक 102 दिनांक 20-12-2000 विकास खण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

मंजू महेन्द्र पाण्डेय

उप पंजीयक.